रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082021-229056
CG-DL-E-16082021-229056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2021/श्रावण 25, 1943
No. 339] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2021/SHRAVANA 25, 1943

श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020

सं.पी और ए .I/अधिनियम/एएमडीटी/एससीटीआईएमएसटी/2020.—केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 10), उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित कतिपय केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का 7 मार्च, 2019 से उपबंध करता है;

और श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के संस्था निकाय और शासी निकाय ने उसके तारीख 6 जुलाई, 2019 के संकल्प यह उल्लेख किया है कि केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 10), केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ, उन संस्थाओं के सिवाय, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध है, सम्मिलित है, सभी समूह 'क' शैक्षणिक पदों को लागू होता है;

और संस्था निकाय और शासी निकाय ने सभी पदों पर सीधी भर्ती में और श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित अभ्यार्थियों के संबंध में केंद्रीय सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने का भी विनिश्चय है;

अत: अब, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 10), की धारा 2 के साथ पठित उसकी धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम, विनियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम (संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम विनियम, 1981 के विनियम 28 को उसके उपविनियम (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) समूह 'क' शैक्षणिक पदों को भरते समय केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 10), में अधिकथित आरक्षण नीतियों का यथावश्यक परिवर्तन सहित अनुसरण करेगा;

(ख) उन पदों के संबंध में, जो खंड (क) में निर्दिष्ट से भिन्न है, केंद्रीय सरकार के अधीन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसरण की जाने वाली आरक्षण नीतियों के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विद्यमान आरक्षण का अनुसरण करेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण प्रदान करेगा।"

प्रोफ. (डॉ). अजित कुमार बी. के., निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./193/2021-22]

टिप्पण : श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम विनियम,1981 भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड(i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 618, तारीख 23 जून, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक पीएण्डए.1/विनियम/एएमडीटी/एससीटीआईएमएसटी/2017 तारीख 27 दिसंबर, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY TRIVANDRUM

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2020

No. P&A.I/REGULATION/AMDT/SCTIMST/2020.—Whereas the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 (10 of 2019) provide for reservation in appointments by direct recruitment for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the socially and educationally backward classes and the economically weaker sections, to teachers' cadre in certain Central Educational Institutions, as defined in clause (c) of section 2 of the said Act, with effect from the 7th day of March, 2019;

And whereas the Institute Body and Governing Body of Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology have vide their resolution, dated the 6th July, 2019, stated that the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 (10 of 2019) applies to all the Group 'A' academic posts in Central Educational Institutions including institutions of national importance except those institutions listed in the Schedule to the said Act;

And whereas the Institute Body and Governing Body have also decided to implement the reservation policy of the Central Government with respect to candidates belonging to economically weaker sections in direct recruitment to all posts and in Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act 1980 (52 of 1980) read with sub-section (2) thereof, the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Regulations, 1981, namely:-

1. (1)These regulations may be called the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum (Amendment) Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Regulations, 1981, Regulation 28, shall be re-numbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

   "(2) The Appointing Authority shall, in filling vacancies,-

   (a) in Group 'A' academic posts, *mutatis mutandis* follow the reservation policies laid down in the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 (10 of 2019);

   (b) in respect of posts other than those referred to in clause (a), continue to follow the existing reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the socially and educationally backward classes and also grant reservation for economically weaker sections on the basis of the reservation policies followed by the Central Government from time to time in filling vacancies by direct recruitment in posts under the Central Government."

Prof. (Dr.) AJIT KUMAR V.K., Director

[ADVT.-III/4/Exty./193/2021-22]

Note : The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Regulations, 1981 was published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 618, dated the 23rd June, 1981 and lastly amended vide notification number P&A.I/REGULATION/AMDT/SCTIMST/2017 dated 27.12.2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.16 22:52:14 +05'30'